न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 193/2023 राजस्व वाद

1. पारस पुत्र श्री सुखदेव जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र श्री सुखदेव जाट आयु वयस्क निवासी– लादुवास तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लुहारिया जरिये शाखा प्रबंधक
3. भारतीय स्टेट बैक शाखा बेमाली जरिये शखा प्रबंधक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)
5. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता वादी
2. एकपक्षीय– —— प्र.सं. 1 से 3
3.पैरोकार सरकार —— प्र.सं. 4,5

:: निर्णय :: दिनांक– 13.09.2025(लोक अदालत)

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे खाता संख्या 699 मे आराजी नम्बर 3088/2 रकबा 1.5176 हैक्टयर मे वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदारान के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई ,चराई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गये व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र डिकी करने का निवेदन किया व मामले मे प्रारम्भिक डिकी जारी कर बटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया गया। दौराने बटवाड़ा प्रस्ताव पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से विभाजन हेतु बटवाड़ा नामा पर हस्ताक्षर किये गये, जो बाद मे उपस्थित नही हो सके, जो बटवाड़ा नामा बटवाड़ा प्रस्ताव के रूप मे पेश किया गया। जिस पर वादी द्वारा सहमति प्रकट करते हुए उसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी करने का निवेदन किया गया ।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा द्वारा तैयार किया गया बटवाड़ा नामा अनुसा वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएवः

आदेश

सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे खाता संख्या 699 मे आराजी नम्बर 3088/2 रकबा 1.5176 हैक्टयर भूमि मे वादी एंव प्रतिवादीगण/वर्तमान खातेदारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1)खातेदार का नाम–(1) पारसमल पुत्र श्री सुखेदव जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक लुहारिया के नाम –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	3088/2	0.7428
योग	कुल किता 1	0.7428 हैक्टयर

(2)खातेदार का नाम–भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह राजपूत साकिन शिवपुर (बांकली)खातेदार के नाम पर –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	3088/2/2	0.7428
योग	कुल किता 01	0.7428 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

(3)खातेदार का नाम– (1) पारसमल पुत्र श्री सुखेदव जाति जाट 1/2 सा. देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक लुहारिया एवं भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह राजपूत 1/2 साकिन शिवपुर (बांकली) के नाम –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	3088/2/1	0.0320
योग	कुल किता 1	0.0320 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.2025(लोक अदालत)को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)</u>

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 193/2023 राजस्व वाद

1. पारस पुत्र श्री सुखदेव जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी– लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) ––– वादी

बनाम

1. शंकर पुत्र श्री सुखदेव जाट आयु वयस्क निवासी– लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लुहारिया जरिये शाखा प्रबंधक
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बेमाली जरिये शखा प्रबंधक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>बाबत विभाजन आराजियात</u>

वादी की ओर से श्री अशोक कुमार लखारा एडवोकेट उपस्थित व प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 13.09.2025(लोक अदालत) को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद लादुवास पटवार हल्का लादुवास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे खाता संख्या 699 मे आराजी नम्बर 3088/2 रकबा 1.5176 हैक्टयर भूमि मे वादी एंव <u>प्रतिवादीगण/वर्तमान</u> खातेदारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

(1)खातेदार का नाम– (1) पारसमल पुत्र श्री सुखेदव जाति जाट सा. देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक लुहारिया के नाम –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	3088/2	0.7428
योग	कुल किता 1	0.7428 हैक्टयर

(2)खातेदार का नाम–भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह राजपूत साकिन शिवपुर (वांकली)खातेदार के नाम पर –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	3088/2/2	0.7428
योग	कुल किता 01	0.7428 हैक्टयर

(3)खातेदार का नाम–(1)पारसमल पुत्र श्री सुखेदव जाति जाट 1/2 सा. देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक लुहारिया एवं भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह राजपूत 1/2 साकिन शिवपुर (वांकली)के नाम –

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	3088/2/1	0.0320
योग	कुल किता 1	0.0320 हैक्टयर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 13.09.2025(लोक अदालत) को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)